भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1857

जिसका उत्तर 07.08.2024 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रबंधन का अंतरण

1857. श्री दोरजी त्शेरिंग लेप्चा:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिक्किम सरकार की ओर से सेवोक और रंगपो (राष्ट्रीय राजमार्ग सं 10) के बीच के खंड को राजमार्ग के कुशल प्रबंधन के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), पश्चिमी बंगाल से राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल), जो वर्तमान में रंगपो से गंगटोक (40 किलोमीटर) खंड का रख-रखाव कर रहा है, को अंतरित करने की लगातार मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार बेहतर रखरखाव और प्रबंधन के लिए सेवोक और रंगपो के बीच के खंड को एनएचआईडीसीएल को अंतरित करेगी;

(ग) यदि हां, तो यह अंतरण कब तक किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) यह मंत्रालय मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। एनएच अधिनियम, 1956 की धारा 5/ एनएचएआई अधिनियम, 1988 की धारा 11 के तहत विकास और रखरखाव के लिए एनएच खंडों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) की सरकारों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)/राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल)/ सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) जैसी एजेंसियों को सौंपा गया है। एजेंसियों की क्षमताओं और विशेषज्ञता के आधार पर एनएच के सौंपे गए खंडों का एजेंसियों के बीच आदान-प्रदान किया जाता है।

वर्तमान में, पश्चिम बंगाल राज्य में एनएच-10 के सेवोक से रंगपो खंड के विकास और रखरखाव का कार्य पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को सौंपा गया है।

*****